1			2	3
. Ammonium Sulphate				
100 Kg. packing .		•	925	925
. Muriate of Potash				
10 Kg. packing			795	
Di-Ammonium phosphate	•		2210	2210
Ammonium Nitro Phosphate				1845 (FACT)
	•	•	1590	1760 (FCI)
24-24-0			2045	2080 (IFFCO) 2045 (MFL)
. NPK				
15-15-15	•		1520	1520 (FCI)
17-17-17 .	•		1810	1810 (MFL)
S	TOCKS C	F FERTILIZ	ERS AS ON	3 <b>1-5-19</b> 77.
Nitrogen .		. 8,66	,184 tennes	
P2O5 .		. 2,45	,626 "	
K <sub>2</sub> O		38,	,991 ,,	

## नगरीय सम्पत्ति के प्रधिकतम सीमा ग्रिधिनियम के बारे में शिकायतें

Total

115

4640. श्री कंवर लाल गुप्त: वया निर्माण श्रीर श्रावास तथा पूर्ति श्रीर पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) नगरीय सम्पत्ति की प्रधिकतम सीमा ग्रधिनियम के बारे में सरकार को कितनी शिकायतें मिली है ;
- (ख) उनका ब्यौरा क्या है ग्रौर उन पर क्या कार्यवाही की गई है; ग्रौर दिल्ली में कितने लोंगों ने इस सम्बन्ध में ग्रपनो तफ गील दाखिल को है, ग्रौर
- (ग) इस म्रिधिनियम के म्रिधीन सरकार ने दिल्ली में कितने प्लाट म्रिपने तहत लिये हैं?

निर्माण स्रौर स्नावास तथा पूर्ति स्नौर पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर वस्त): (क) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) स्निधिनियम, 1976 के विरुद्ध स्रव तक 291 स्रभ्यावेदन प्राप्त हए।

11,50,801 ternes

- (ख) इन में से 147 ग्रभ्यावेदन निम्न लिखित मामलों से संबंधित **ये**:—
- (i) भवन-निर्माण योजनात्रों का स्रनुमोदन नहीं किया जा रहा है।
- (ii) इन अधिनियम की धारा 26 तथा 27 और हस्तान्तरण से संबंधित कागजानों के अंजीकरण को ध्यान में रखते हुए भूमि तथा सम्पत्ति के हस्तान्तरण के वारे में कठिनाइथा अनुभव की जा रही है;

- (iii) इस ग्रधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत दिए गए विवरणों की जांच में विलम्ब के कारण ग्रन्चित कष्ट हो रहा है; भौर
- (iv) इस ग्रधिनियम की घारा 20 के ग्रन्तर्गत राज्य सरकारें शीधातिशीध छूट नहीं दे रही हैं।

क्योंकि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इस श्रिधिनियम का कार्यान्वयन किया जा रहा हैं, इन ग्रभ्यावेदनों की पावती सूचना भेज दी गई थी तथा इन्हें संबंधित राज्य सरकारों को उनके उचित कारवाई के लिए भेज दिया गया था। जहां भी ग्रावश्यक समझा गया, राज्य सरकारों को उचित मार्गनिदेंशन भेज दिए गए।

144 अभ्यावेदनों में सुझाव दिया गया । था कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 को रह किया जाए अथवा सणवत रूप से संगोधन किया जाए । इनकी पावती भेज दी है । जिन मुझावों पर इस अधिनियम में संगोधन किया जाना चाहिए, इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

जहां तक दिल्ली संव राज्य क्षेत्र का संबंध है, यह बतलाया गया है कि इस ऋधि-नियम की धारा 6 के ऋधीन 7811 विवरण प्रस्तुत किए गए हैं।

(ग) जी बिल्कुल नहीं।

## Cases and Appeals about wakf Properties in Bhatinda District (Punjab)

4641. SHRI OM PARKASH TYAGI: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND RE-HABILITATION be pleased to state:

(a) how many cases or appeals concerning Wakf properties are pending in the courts of District Bhatinda (Punjab) in which Central Government or Custodian of India is a party;

- (b) what is the value of property involved in each such case or appeal, the names of the parties, brief synopsis of the dispute involved and since when each case or appeal is pending and
- (c) what steps are being taken for their speedy disposal?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND RE-HABILITATION (SHRI SIKA DAR BAKHT): (a) According to the information furnished by the Punjab Wakf Board, no case or appeal concerning Wakf properties is pending in the Courts of District Bhatinda (Punjab) in which Central Government or Custodian of Evacuee Properties India is a party.

(b) and (c). Do not arise.

## Shortage of Housing Accommodation for Central Government Employees in Goa, Daman and Diu

4642. SHRI AMRUT KASAR: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

- (a) whether the Central Government Officers who are transferred to the Union territory of Goa, Daman and Diu from other States are facing acute shortage of housing accommodation in Goa;
- (b) if so, what steps have been taken to remove this shortage of housing accommodation in Goa; and
- (c) whether the Central Government officers are reluctant to stay in Goa due to this housing problem?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND RE-HABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) The Central Government Employees Welfare Co-ordination Committee, Goa, had submitted a Memorandum explaining inter alia that in Goa, and particularly in the three major cities, viz., Panaji, Margao and Vasco, there was acute dearth of residential accommodation with the result that the employees of the Central Government who came on transfer to